



तारीख हुक्म

19/08/19

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उमय  
 पक्ष अथवा पक्षकारान से कि कोई भी प्रकरण  
 में कोई चार आवान लागवाने के बाद भी  
 हाजिर अदालत नही आए है। अतः प्रकरण  
 अदम हाजरी एवं अदम वैरवी में कार्रज किया  
 जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर  
 से कम ही तथा बाद तत्काल वाजिल फफतर  
 हो। निर्णय जुले न्यायालय में पुनः मया।

19/8/19